



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 2016/फाल्गुन 5, 1937

No. 493]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 2016/PHALGUNA 5, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2016

का.आ. 572(अ).--निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

अरूणाचल प्रदेश राज्य के अपर सियांग जिले में स्थित माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान, पूर्वी हिमाचल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का भाग है, जिसका घेरा लगभग 483 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र का विस्तृत वन प्रकार उष्णकटिबंधी और अर्द्ध सदाबहार, उपोष्ण कटिबंधी चौड़ी पत्ती वाला वन और उपशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाला वन है। मुख्य वनस्पति उपोष्ण कटिबंधी वन, तरशीतोष्ण वन, मिश्रित शंकुवृक्ष वन और बांस वन हैं।

और, वनस्पति तथा प्राणी इस अभयारण्य का अत्यधिक जैव महत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं।

और, महत्वपूर्ण वृक्षों में टेरमिनलिया माईरियोकारपा, अल्टीनजिया एक्सेलसा, सीन्नामोमस्पा, मगनोलिया स्पा, टेरमिनलिया बेल्लेरीका, बेमबक्स सीबा, कास्टानापसीस इंडिकाम, मेसुआ फेररिया, फोइबे गोलपेरेनसीस है, बांस प्रजातियों में डेनड्रोकालामस हमीलटोनी, पसीयोडोस्ट्राक्यम पोलमोरफम सम्मिलित है। ईख प्रजातियों में कालामस फलोरीबुनदस, सी. फलागेलम सम्मिलित है जो अभयारण्य में पाए जाते हैं।

और, अभयारण्य में पाए जाने वाले पशुओं की मुख्य प्रजातियाँ पेंथरा टगरिस, नियोफेलीस नेबोलोसा, फेलीस वीवेरीना, पेंथरा प्रदस, मेक्का असमेनसीस, मुमतीआक्स मुन्टजेक, वोलोइस बंगालेनसीस, लूटरा लूटरा, हेरपेसटेस इडवार्डसी, सेलेनारक्टोस थीबेटनरस कपरोलगस हीसपीडस, कानीस लूपस, ह्यसटीक्स इंडिका, कानिका अउरियोस, फेलिस चाउ, बुडारकस टैक्सीकोलर, सुस स्क्रोफा, कपरीकोनरनीस सुमाटेरानसीसी, नइसटीसेबस कऊकंग, ककाका मुलआटा, अइलुरूस फुलगेन्स, मोसचुस मोसचीफियोस आदि हैं।

और, अभयारण्य में लगभग 115 पक्षियों की प्रजातियाँ जैसे ग्रे-हेडिड कठफोडवा, स्वर्ण बबलर, पर्वती मचना लॉफिंग श्रश, मीनल फेजेंट, ग्रेबसंता, पहाडी गरूड, बुलबुल, पवती तीतर, बबलर मैंगपाई रॉबिन, पपीहा, ग्रे अंगारक वृक्ष पाइ, हारिल, पंडुक, जंगली मुर्गी, तोता आदि पाए जाते हैं।

और, अभयारण्य में सरीसृप जैसे अजगर, वाइन सांप, कोबरा, अधिक जहरीला सांप, वृक्ष सृप, ट्रीनकेट सांप करैत सांप, वन टोपी, स्कीनक, येलो मॉनीटर आदि पाए जाते हैं और जलीय निकाय मछलियों में जैसे सचीजोथेरिक्स रीचार्डसोनी, बारालीयस बोला, टोर पुतीटोरा, गारा मचेलानडी होते हैं और उभयचरो में जैसे राना कुहली, रहाकोफोरस स्पा, माइक्रोहयला ऑरनाटे आदि हैं।

और, अभयारण्य में उभयचरो में जैसे राना कुहली, राना मेक्सीमस, राना लीमनोकारीस, राना मेकुलेटस, राना साइनाफासेलयसटीक, राना टेम्पोरारीया, राना टाइगरीना, राना ब्रेवीपस, फोकोफोरस लियोकोमेस्टक्स, बूफो स्टोमेटेक्स, हयला अन्नेसडस, एक्सोफाइरस परवा, माइक्रोफाइला ऑर नाटे, होपलोबाट्राचस केशहस, आक्कीडोजयगा बोरेलीस, हुमेराना हुमेरालीस, टायलो-टोट्रीटोन वेररूकासस, गेगेनेओफरीस फुल्लर और तितलियों में जैसे अक्राइआ वोलिया, कटोपसीला करोसेले, डोनाओइस गेनुटिया, डोनाओइस लीमनीएक, लीसटेरिया स्पा, गराफियम अगामेमनोन, मेलानिटीसलेडा, डीकोफोरा स्पा, डेलियस इयोकारीस आदि पाए जाते हैं।

और, माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अरुणाचल प्रदेश के माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 5.6 किलोमीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान से 5.6 किलोमीटर तक विस्तार के साथ 236 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई गांव नहीं है तथा ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं के साथ साथ बिंदुओं के समन्वय करता है **उपाबंध I** के रूप में संलग्न है

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र, सीमा व्यौरों, अक्षांश और रेखांश के साथ उपाबंध II के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.--(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) शहरी विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- (ix) सिंचाई ; और
- (x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलो, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.--राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ

(2) के अधीन मद सं. 12, 21, 32, 36 और सं. 37 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात्:--

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना ।
- (iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ;
- (iv) वर्षा जल संचयन, और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं :

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों**—आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन**—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, राज्य राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट के स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**--पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण - ध्वनि प्रदूषण.**--पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**--पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिष्काव का निस्सारण.**--पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**--ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इकाईयां** - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं सिवाय, निवासियों की सद्भावपूर्ण घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिगत उपभोग के लिए गृहों के निर्माणके लिए देशी टाइलोया ईंटों का संनिर्माणभी है ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(4)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(5)	नई वृहत ताप और जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	नदियों को रोकना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	विस्फोटकों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

(10)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना!	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(11)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
विनियमित क्रियाकलाप		
(12)	होटलो और रिसोर्टों की स्थापना।	<p>पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के अस्थायी वास-सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।</p> <p>तथापि, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुरूपता में होगा।</p>
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:</p> <p>परन्तु यह की स्थानीय निवासियों को उनकी घरेलू आवश्यकताओं, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अनुज्ञात किया जाएगा</p> <p>प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे।</p> <p>एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य संनिर्माण क्रियाकलापों आंचलिक महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।</p>
(14)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(15)	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(16)	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

(17)	भूमिगत जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(18)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्हीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामलों में कार्यकरण योजना निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।
(19)	विद्यमान स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(20)	विद्यमान लाइनों का विद्युत रोधन।	भूमिगत केबलों की अभिवृद्धि। पारिस्थितिक संवेदी जोन से गुजरने वाली सभी विद्यमान लाइनों को आंचलिक महायोजना के अधीन विहित समय सीमा में पर्याप्त रूप से विद्युत रोधी बनाया जाएगा।
(21)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय के साथ किया जाएगा।
(22)	होटलों और लॉजों के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। वन्य जीवों को मुक्त विचरण करने देने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों और अन्य वाणिज्यिक स्थापनों की संपत्तियों में कंटीले तारों की बाड़ नहीं लगाई जाएगी और कोई भी बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं होगी। इस अनुबंध के अनुरूप नहीं होने वाली किसी भी विद्यमान बाड़ को आंचलिक महायोजना में उल्लिखित समय सीमा के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा।
(23)	लोक अधिकार।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(24)	लघु चारे का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	सभी रास्ते और विद्यमान सड़के उसी प्रकार बनी रहेंगी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	कृषि प्रदूषण में कठोर परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(27)	प्राकृतिक जल स्रोतों का वाणिज्यिक उपयोग जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(28)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(29)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(30)	साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

(31)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	जब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात न कर दिया 1 से 10 से अधिक ढलान वाली पहाड़ी पर और किसी नदी और प्राकृतिक नाले के किनारे से 100 मीटर तक भी कोई सन्निर्माण क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा ।
(32)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।
संवर्धित क्रियाकलाप :		
(33)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे ।
(34)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(35)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(36)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(37)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(38)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (i) उपायुक्त, अपर सियांग जिला, यिंगक्योंग -अध्यक्ष ;
- (ii) अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ. -सदस्य;
- (iii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि. -सदस्य;
- (iv) कार्यकारी इंजीनियर, अरुणाचल प्रदेश प्रदूषण बोर्ड. -सदस्य ;
- (v) जिला पर्यटन अधिकारी (अपर सियांग) -सदस्य ;
- (vi) जिला कृषि अधिकारी, (अपर सियांग) -सदस्य ;

(vii) प्रभागीय वन अधिकारी (अपर सियांग)

-सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश का निबंधन :-

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध III** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/188/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के चारों दिशाओं के साथ भू-निर्देशांक

उत्तर- शिखर बिंदु 1755 के भू- निर्देशांक 28°41'6.837" उ एवं 94°40' 17.416" पू से आरम्भ होकर सीधी रेखा स्थिति 71° के साथ लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी से शिखर बिंदु 2125 जाती है। वहां से स्थिति 53° से लगभग 5.30 किलोमीटर की दूरी से शिखर बिंदु 1500 जाती है। वहां से स्थिति 90° से लगभग 3.35 किलोमीटर की दूरी से शिखर बिंदु 1475 जाती है। वहां से स्थिति 88° से लगभग 6.6 किलोमीटर की दूरी से शिखर बिंदु 1190 जाती है। वहां से स्थिति 113° से लगभग 5.50 किलोमीटर की दूरी से शिखर बिंदु 1310 जाती है।


पूर्व- वहां से स्थिति 142° से लगभग 4.10 किलोमीटर की दूरी से शिखर बिंदु 680 जाती है। वहां से स्थिति 144° से लगभग 10.1 किलोमीटर की दूरी से शिखर बिंदु 475 जाती है। वहां से स्थिति 198° से लगभग 7.00 किलोमीटर की दूरी में जाती है। वहां से पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा श्रीनायक नाला के एक सहायक नदी के किनारे के साथ दक्षिण की ओर 200 मीटर के सामान्तर भू.-निर्देशांक 28°-28'35.135"उ और 94° 59' 50.832" पू जाती है।

दक्षिण-वहां से सीमा राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा के साथ सामान्तर भू.-निर्देशांक बिंदु 28°31'34.214"उ और 94°41'53.482"पू जाती है।

पश्चिम-वहां से उद्यान सीमा के साथ उत्तर की ओर सामान्तर भू.-निर्देशांक बिंदु 28°33' 0.472' उ और 94°42'-0" पू जाती है। वहां से स्थिति 350° से 850 मीटर दूरी में जाती है। वहां से स्थिति 330° से 4.25 किलोमीटर की दूरी से शिखर बिंदु 1025 जाती है। वहां से स्थिति 356° से 10.30 किलोमीटर की दूरी से आरंभिक बिंदु पहुंचती है

उपाबंध II

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन के माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान का मानचित्र



उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2016

S.O. 572(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: esz-mef@nic.in.

Draft Notification

Whereas, the Mouling National Park located in Upper Siang District in the State of Arunachal Pradesh is part of Eastern Himalaya Biodiversity Hotspot encompassing about 483 square kilometres. The broad forest type of the area are tropical and semi evergreen, sub-tropical broad leaved forest and sub temperate broad- leaved forest. The major vegetations are subtropical forest, wet temperate forests, mix coniferous forests and bamboo forests.

And whereas, the flora and fauna represent rich biological significance of this Sanctuary.

And whereas, the important trees Terminalia myriocarpa, Altingia excelsa, Cinnamomum Spp. Magnolia spp., Terminalia bellerica, Bambax ceiba, , Castanopsis indicam, Mesua ferrea,, Phoebe goalparensis, Bamboo species include Dendrocalamus hamiltonii, Pseudostrachyum polymorphum. Cane species include Calamus floribundus, C. flagellum are found in the Sanctuary.

And whereas, the main species of animals found in the sanctuary are *Panthera tigris*, *Neofelis nebulosa*, *Felis viverrina*, *Panthera pardus*, *Macaca assamensis*, *Mumtiacus muntjak*, *Vuloes bengalensis*, *Lutra lutra*, *Herpestes edwardsi*, *Selenarctos thibetanus*, *Caprolagus hispidus*, *Canis lupus*, *Hystrix indica*, *Canis aureus*, *Felis chaus*, *Budorcas taxicolor*, *Sus scrofa*, *capriconnis sumatraensis*, *Nycticebus coucang*, *Macaca mulatta*, *Ailurus fulgens*, *Moschus moschifeus*, etc.

And whereas, about 115 species of birds like Grey-headed woodpecker, Golden babbler, Hill Myna, Laughing thrush, Monal pheasant, Great Barbet, Mountain eagle, Bulbul, Hill partridge, Babbler, Magpie Robin, Cuckoo, Grey Drongo, Tree pie, Green pigeon, Dove, Wild fowl, parakeet etc. are known to occur in the sanctuary.

And whereas, the reptiles like Python, Vine snake, Cobra, Pit viper, Tree snake, Kukri snake, Trinket snake, , Krait snake, forest Calotes, Skink, Yellow monitor, etc. are known to occur in the sanctuary and the aquatic bodies consists of fishes like *Schizothorax richardsonii*, *Baralius bola*, *Tor putitora*, *Garra machellandi* and the Amphibians like *Rana kuhlii*, *Rhacophorus sp.*, *Microhyla ornate* etc.

And whereas, Amphibians like *Rana kuhlii*, *Rana maximus*, *Rana limnocharis*, *Rana maculates*, *Rana Cyanophycelyctis*, *Rana temporaria*, *Rana tigerina*, *Rana breviaps*, *phocophorus leucomastyx*, *Bufo himalayanum*, *Nannophrys ceylonensis*, *Salea spp.* *Bufo stomaticus*, *Hyla annectus*, *Xenophrys parva*, *Microphyla ornate*, *Hoplobatrachus crashus*, *Occidozyga borealis*, *Humerana humeralis*, *Tylototriton verrucosus*, *Gegeneophrys fuller* and Butterflies like *Acraea violae*, *Catopsilla crocale*, *Donaoes genutia*, *Donaoes limniace*, *Listeria Spp*, *Graphium Agamemnon*, *Melanitis Leda*, *Dicophora Spp*, *Delias eucharis* etc are found in the Sanctuary.

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area surrounding the protected area of Mouling National Park as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view.

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent upto 5.6 kilometer around the boundary of Mouling National Park in the State of Arunachal Pradesh as the Mouling National Park Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1) The Eco-sensitive Zone shall be of 236 Square Kilometres with an extent upto 5.6 kilo meter around the protected Area. There is no village inside the Eco-sensitive Zone and the GPS Co-ordinates of points along the boundary of Mouling National Park are given at Annexure-I.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as Annexure-II.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The said Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The said Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest;
- (iii) Urban Development;
- (iv) Tourism;
- (v) Municipal;
- (vi) Revenue;
- (vii) Agriculture;
- (ix) Arunachal Pradesh State Pollution Control Board;
- (x) Irrigation; and
- (xi) Public Works Department.

(5) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The said Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The said Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The State Government of Arunachal Pradesh shall prepare separate Zonal Master Plans for area under their jurisdiction.

3. **Measures to be taken by State Government.**—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**—Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
- (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) Small scale industries not causing pollution;
- (iv) Rainwater harvesting; and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**—(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forest and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the

Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Mouling National Park except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**—All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**—Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**—The Environment Department of the State Government or Arunachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**—The Environment Department of the State Government or Arunachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**—The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908(E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**—The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.**—(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**—All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	River poisoning.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of explosives.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometre and upto the extent of Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities could be in conformity Tourism Master Plan guidelines of National Tiger Conservation Authority.
13.	Construction activities.	a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. Beyond 1 kilometre up to the extent of Eco-sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
14.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.

15.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
17.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
19.	Existing establishments.	Regulated under applicable laws.
20.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
23.	Public rights.	Regulated under applicable laws.
24.	Collection of small fodder.	Regulated under applicable laws.
25.	All the way and existing roads will remain as its.	Regulated under applicable laws.
26.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
27.	Commercial use of natural water resource including ground water harvesting.	Regulated under applicable laws.
28.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
29.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
30.	Sign board and hoardings.	Regulated under applicable laws.
31.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
32.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
Promoted activities		
33.	On going agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.—The Central Government for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, hereby constitutes a Committee for the State of Arunachal Pradesh to be called the Monitoring Committee, as under:-

- | | |
|---|-------------------|
| (i) Deputy Commissioner, Upper Siang, Yingkiong. | -Chairman |
| (ii) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Arunachal Pradesh for a period of one year. | -Member |
| (iii) One representatives of Non-governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of India for a period of one year. | -Member |
| (iv) Executive Engineer, Arunachal Pradesh Pollution Control Board. | -Member |
| (v) District Tourism Officer (Upper Siang). | -Member |
| (vi) District Agriculture Officer (Upper Siang). | -Member |
| (vii) Divisional Forest Officer (Upper Siang). | -Member-Secretary |

6. Terms of Reference.—(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change as per pro forma given in Annexure III.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No.25/188/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I


Geo-coordinates at Four Corners along boundary of Eco-sensitive Zone.

North- Starting from the peak point 1755 at Geo-Coordinates 28⁰41'6.837" N & 94⁰40' 17.416" E the boundary goes along a straight line at bearing 71⁰ for a distance of 6.5 km approx up to peak point 2125. Thence at bearing 53⁰ for a distance of 5.30 km approx up to peak point 1500. Thence at bearing 90⁰ for a distance of 3.35 km approx. up to peak point 1475 thence at bearing 88⁰ for a distance of 6.6 km approx. up to peak point 1190. Thence at bearing 113⁰ for a distance of 5.50 km approx up to peak point 1310.

- East-** Thence at bearing 142° for a distance of 4.10 km approx up to peak 680. Thence at bearing 144° for a distance of 10.1 km approx up to peak point 475. Thence at bearing 198° for a distance of 7.00 km approx. thence the boundary of Eco-sensitive Zone/EFZ goes south wards 200 mtr away parallelly along a tributary of Sirnyak nalla up to the at geo-coordinates $28^{\circ}28'35.135''N$ and $94^{\circ}59'50.832''E$.
- South-** Thence the boundary goes parallel along the southern boundary of National Park to the point at geo-coordinates $28^{\circ}31'34.214''N$ and $94^{\circ}41'53.482''E$.
- West** – Thence north-wards parallel along the Park boundary up to the point at geo-coordinates $28^{\circ}33'04.72' N$ and $94^{\circ}42'-0'' E$. Thence at bearing 350° for a distance of 850 mtr. Thence at bearing 330° for a distance of 4.25 km up to peak point 1025. Thence at bearing 356° for a distance of 10.30 km. up to the starting point.

ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MAULING NATIONAL PARKS WITH LATITUDES AND LONGITUDES



ANNEXURE-III

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings:
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
[Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006:
[Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006:
[Details may be attached as separate Annexure].
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:
